10 COURT FEE ₹10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
5 COURT FEE ५ भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

(69)

CF 151/-

न्यायालय : श्रीमान राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र0 /06 पुनरीक्षण
R 1894-III/2006

1- रामचन्द्र पुत्र स्व0 सुखऊ पाल
2- केमला पुत्र स्व0 सुखऊ पाल
उ-निवासीगण ग्राम हाटा, तहसील हनुमना,
जिला - रीवा (म0प्र0)

— आवेदकगण

विरूद्ध

1- रामचरित पुत्र स्व0 राजमणि
2- मेवालाल पुत्र स्व0 राजमणि
3- समयलाल पुत्र स्व0 राजमणि
4- मुस. राजमति पत्नी स्व0 राजमणि
5- सोहागीया पुत्री स्व0 राजमणि
6- इन्दवा पुत्री स्व0 राजमणि
समस्त निवासीगण ग्राम हाटा, तहसील
हनुमना, जिला - रीवा (म0प्र0)

— अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, एडवोकेट द्वारा आज दिनांक 16-10-06 को प्रस्तुत।
कार्यालय अधीक्षक राजस्व मंडल म० प्र० ग्वालियर

मुकेश भार्गव
16-10-06 एडवोकेट
ग्वालियर

Call for records. Adm. to a.c. Stay the order of Addl. Commr. dated 14.9.06

न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा द्वारा प्र0क्र0 05/अपील/05-06 में पारित आदेश दिनांक 14.9.06 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

----0----

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है :-

संक्षिप्त तथ्य :- 05

1- यह कि, आवेदक के स्वत्व स्वामित्व की भूमि सर्वे नं. 176/21 के अंश भाग 1.50 एकड़ पर अनावेदकगण के पिता/पति स्व0 राजमणि द्वारा अपने नाम पंजी क्रमांक 227 पर नामांतरण/बंटवारा राजस्व

--2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1894–तीन/06 जिला –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29.6.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित होकर उनके द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 05/आवेदन/05–06 में पारित आदेश दिनांक 14.9.06 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि रिव्यु प्रकरण कमांक 2236–दो/05 में आदेश होने के कारण इस निगरानी का कोई महत्व नहीं रह जाता है । इससे अनावेदक अधिवक्ता श्री कुंवरसिंह कुशवाह भी सहमत है। अतः उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा सहमति दी गई है कि यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जावे। 3– अधिवक्तागण की सहमति के कारण यह निगरानी इसी स्तरपर समाप्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रति के साथ वापस हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे। सदस्य	